न्यायालय उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी – लक्ष्मीकान्त कटारा ,आर0ए0एस0

मुकदमा न0 134/2009 तारीख रजू 10.07.2009

1–लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपी जाति मीना निवासी मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2–श्रीमति जसोदा पत्नि स्व0 श्री रामनिवास जाति मीना निवासी मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3–रघुवीर पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासी मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4– हरिप्रसाद पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासी मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर
5– पुरूषोत्तम पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासी मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर

– अपीलान्टस

बनाम

1–घनश्याम पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी मुई तहसील व जिला स0माधोपुर
2–प्यारेलाल पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी मुई तहसील व जिला स0माधोपुर
3–संजय पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी मुई तहसील व जिला स0माधोपुर
8– ग्राम पंचायत पंचायत मुई पंचायत समिति स0माधोपुर जरिये सरपंच

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण

श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता – वकील अपीलांट
श्री गिर्राज सिंह गुर्जर – वकील रेस्पोडेन्टस

निर्णय

दिनांक: 20.12.2017

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0 आर0 एक्ट के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अपील बनाराजगी आदेश सरपंच ग्राम पंचायत मुई दिनांक 06.06.2005 नामान्तकरण संख्या 340 आदेश दिनाक 06.06.2005 ग्राम पंचायत मुई तहसील सवाई माधोपुर जिसमे आराजी खसरा नंबर 90, 219, 990, 992, 993, 989/2500 कुल किता 6 रकबा 3.23हैक्टेयर वाके ग्राम मुई तहसील सवाई माधोपुर पूर्व में अपीलांट नंबर एक हिस्सा 1/3 एवं अपीलांट नंबर 2 लगायत 5 हिस्सा 1/3 एंव जमनालाल पुत्र गोपी हिस्सा 1/3 के खातेदारी में दर्ज था ,तथा इसी प्रकार काबिज चले आ रहे है । यह है कि रेस्पो0 नंबर एक लगायत 4 के पिता मोतीलाल व मृतक हंसराज एवं एक अन्य खातेदार जमनालाल पुत्र गोपी ने सहायक भूप्रबन्धक एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी टोंक से साझ कर अपीलांट की खातेदारी की भूमि को गैर कानूनी तरीके से फर्जी सहमति पत्र बनाकर उसको आधार बनाकर दिनांक18.09.93 को गैर कानूनी आदेश कर नामान्तकरण संख्या 837 दिनांक 18.09.93 वगैर अपीलांट की जानकारी से तस्दीक कर दिया, जिसकी जानकारी होने पर अपील पृथक से जिला कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । यह नामान्तकरण संख्वया 340 दिनांक 06.06.05विरासत का भरा गया है । केवल खसरा नंबर 219 की हद तक अपील प्रस्तुत पेश है ।

यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित नामान्तकरण जैर अपील विधि के विरूद्ध एंव पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । मूल नामा0 संख्या 837 दिनांक 18.9.93 ही

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

गैरकानूनी तथा लेण्ड रिकार्ड के विपरीत तस्दीक किया गया है ।विरासत का नामान्तकरण तो अपने आप ही अवैध हो जाता है । यह है कि नामा0 तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नही किये ना ही सुनवाई का अवसर दिया । अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नही था कि अपीालांट के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 219 का नामा0 किसी अन्य अन्य व्यक्ति के नाम विरासत का तस्दीक करें । यह है कि विवादित नामा0 जेर अपील दिनांक 06.06.05 की जानकारी सर्व प्रथम दि0 18.06.09को अपीलांट को उस समय हुई जब अपीलांटस ने पटवारी हल्का से नकल जमाबंदी ली जमाबंदी को देखने के बाद रेस्पो0 को खाता दुरूस्त करवाने बाबत कहा तो 3–4 दिन निकाल दिये तथा बाद में मना कर दिया फिर दिनांक 25.06.09को नामा0 आदि की नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की दिनांक 29.06.09 को नकले प्राप्त होने पर मूल नामा0 के साथ इस नामा0 की जानकारी हुई 5–6 दिन अपील के खर्चे व वकील आदि करने में तथा इस नामा0 की नकल आदि में समय लग जाने से जानकारी के दिन दिनांक 18.6.09 एवं 29.6.09से अपील मध्य प्रस्तुत है । देरी कण्डोन कियेजाने बाबत प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है । अतः अपील प्रस्तुत कर अनुरोध है कि नामा0 संख्या 340 दि. 6.6.05 आराजी खसरा नंबर 219 की हदतक निरस्त फरमाया जावे ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 नं0 1लगा0 5 को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पो नंबर 1 लगा0 4 की ओर से श्री गिर्राजसिंह गुर्जर का वकालतनामा पेश हुआ । वकुलाय उभय की बहस सुनी गयी । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया ।वकील अपीलांट द्वारा बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्य दौहराये ।

हमने पत्रावली में उपलब्ध न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 08.08.2012 जो अपील संख्या 9/09 में पारित किया गया है, का अवलोकन किया। उक्त निर्णय सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 837 दिनांक 18.09.93 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी को माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर भू–प्रबन्ध अधिकारी सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 18.09.93 के द्वारा के द्वारा खोला नामान्तकरण संख्या 837 को प्रारम्भतः ही शून्य की श्रेणी में आने के कारण निरस्त किया जा चुका है । इस कारण उसके बाद ग्राम पंचायम मुई द्वारा नामा0 संख्या 340 दिनांक 06.06.05 खोला गया है वह स्वतः ही निरस्त हो गया है ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 340 दिनांक 06.06.05 जो ग्राम पंचायत मुई द्वारा खोला गया है उसे अपास्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20.12.17 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लक्ष्मीकान्त कटारा)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर